कार्यालय, निदेशक ,माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक – शिविरा– माध्य / छात्रवृत्ति / स्कॉलर-E / मु.ह.बे.यो / 2017-18 दिनांक –26/06/18

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा (प्रथम)

विषय : "मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना" के अंतर्गत ज़ारी दिशानिर्देशों में वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा 74 के अनुसार एक अनाथ छात्रा को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में |

प्रसंग : राज्य सरकार के पत्रांक दिनांक 16.10.2015, 05.05.2016 व 11.06.2018 एवं इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 19.10.2015 व 24.05.2016 के क्रम में |

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन के पूर्व के पत्रांक क्रमांक – प.17(11) शिक्षा-1 / 2015 जयपुर दिनांक 16.10.2015, 05.05.2016 के द्वारा **मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना** के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा के आधार पर प्रत्येक जिले की प्रथम दो मेधावी (Meritorious) छात्रा एवं एक BPL परिवार की प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली मेधावी छात्रा को वित्तीय सहायता प्रतिवर्ष उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र एवं दिशानिर्देश प्राप्त हुए थे | इसी क्रम में योजना का विस्तार करते हुए शासन के पत्रांक क्रमांक – प.17(11) शिक्षा-1 / 2015 जयपुर दिनांक 11.06.2018 के द्वारा बजट घोषणा 74 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा के आधार पर प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली एक अनाथ छात्रा को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान की गयी है (प्रतिलिपि सलंग्न)| इस छात्रा को भी उसी प्रकार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी जिस प्रकार जिले की अन्य तीन मेधावी छात्राओं को सहायता उपलब्ध करवायी जा रही है | शेष शर्तें पूर्व में ज़ारी दिशानिर्देशानुसार ही रहेगी | उक्त राशि का वहन बालिका शिक्षा फाउंडेशन, जयपुर द्वारा ही किया जायेगा |

उक्त योजना राज्य सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है | अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जिले की माध्यमिक परीक्षा 2018 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली एक अनाथ छात्रा का चयन करते हुए इस कार्यालय कि ईमेल deo.scholar.dse@rajasthan.gov.in पर तत्काल सूचित करें | उक्त योजना का शाला दर्पण पोर्टल पर भी अपडेट किया जाना है तथा योजना का पर्याप्त प्रचार-प्रसार कर वास्तविक पात्र छात्राओं को चिन्हित करने की ज़िम्मेदारी आपकी होगी |

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शीघ्र ही सम्पादित किया जावे |

सलंग्न : उपरोक्तानुसार

(नथमल डिडेल)
(आई.ए.एस)
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

राजस्थान सकार

शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 17(11)शिक्षा–1 / 2015 जयपुर, दिनांक : 11.6.18

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय :– मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के जारी दिशा–निर्देशों में वर्ष 2018–19 की बजट घोषणा संख्या 74 के अनुसार एक अनाथ छात्रा को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 16-10-2015 एवं 05-05-2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा **"मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना"** के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकेण्डरी परीक्षा के आधार पर प्रत्येक जिले की दो मेधावी (Meritorious) छात्राओं एवं सैकेण्डरी बोर्ड परीक्षा में बी.पी.एल. एक परिवार की प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त मेधावी छात्रा को वित्तीय सहायता प्रतिवर्ष उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र एवं दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार जिले की तीन मेधावी (Meritorious) छात्राओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा 2018–19 के अनुसार **"मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना"** का विस्तार करते हुए 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त एक **अनाथ बालिका (छात्रा)** को भी सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस छात्रा को भी उसी प्रकार से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाये जिस प्रकार जिले की अन्य तीन मेधावी छात्राओं को उपलब्ध कराई जा रही है।

उक्त राशि का वहन बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के किया जायेगा।

इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए शाला दर्पण ऑनलाईन वेब पोर्टल में प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित किया।

शेष शर्तें पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार रहेंगी।

भवदीय,

8.6.18

(कमलेश आबूसरिया)
शासन उप सचिव–प्रथम

D:\BK Gupta Jr Office Order or Files BK Sir\17(11)edu-1 2015.docx